बिहार सरकार
योजना एवं विकास विभाग

पत्रांकः यो04 / मु0क्षे0वि0यो0–1 / 2018– 1474 / यो.वि.,दिनांक 18 मई, 2020

प्रेषक,

मनीष कुमार वर्मा,
सचिव

सेवा में,

सभी जिला योजना पदाधिकारी, बिहार
सभी कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, बिहार

विषयः **मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना के तहत् योजना के कार्यान्वयन हेतु भूमि उपलब्धता संबंधी प्रतिवेदन प्राप्त करने की प्रक्रिया के सरलीकरण के संबंध में।**

प्रसंग : **योजना एवं विकास विभाग का पत्रांक 3643 दिनांक 20.08.2014**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना की संशोधित मार्गदर्शिका–2014 के अनुसार विधान मंडल के माननीय सदस्यों की अनुशंसा पर योजनाओं का कार्यान्वयन कराया जा रहा है। विधान मंडल के माननीय सदस्यों द्वारा भवन निर्माण तथा गली–नाली / संपर्क पथ निर्माण से संबंधित अनुशंसित सभी तरह की योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु संबंधित अंचलाधिकारी से भूमि उपलब्धता संबंधी प्रतिवेदन प्राप्त करने में काफी समय लग जाता है, जिसका प्रतिकूल प्रभाव योजना के कार्यान्वयन पर पड़ता है।

उक्त के आलोक में मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना के तहत् भवन निर्माण तथा गली–नाली / संपर्क पथ निर्माण की योजना के कार्यान्वयन हेतु भूमि उपलब्धता संबंधी प्रतिवेदन प्राप्त करने की प्रक्रिया को सरल बनाने के संबंध में निम्न निदेश दिए जाते हैं :–

1. मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना की मार्गदर्शिका में अनुमान्य भवन निर्माण संबंधी योजनाओं का कार्यान्वयन सरकारी भूमि पर ही कराया जायेगा। इसके लिए जिला पदाधिकारी / अपर समाहर्ता के माध्यम से संबंधित अंचलाधिकारी से सरकारी भूमि उपलब्धता संबंधी प्रतिवेदन प्राप्त करना अनिवार्य होगा। निजी भूमि पर भवन निर्माण संबंधी योजानाओं का कार्यान्वयन योजना एवं विकास विभाग के पत्रांक 3643 दिनांक 20.08.2014 के माध्यम से पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना द्वारा निर्गत दिशा–निर्देश के आलोक में कराया जायेगा।

2. यदि विधानमंडल के माननीय सदस्यों द्वारा मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना की मार्गदर्शिका में अनुमान्य किसी विद्यालय / मदरसा / संस्कृत विद्यालय / महाविद्यालय में अतिरिक्त कमरा निर्माण अथवा विद्यालय / महाविद्यालय / अन्य सरकारी अथवा सरकार से मान्यता प्राप्त संस्थानों के परिसर में भवन एवं अन्य संरचनाओं के निर्माण हेतु अनुशंसा की जाती है तो इसके लिए अंचलाधिकारी से भूमि उपलब्धता संबंधी प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होगी, परंतु संबंधित विद्यालय के प्रधानाध्यापक / महाविद्यालय के प्राचार्य से अनुमति प्राप्त कर लेना अनिवार्य होगा।

3. मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना के तहत् अनुमान्य योजनाओं के अंतर्गत किसी संस्थान के भवन की चहारदिवारी निर्माण की अनुशंसा विधान मंडल के माननीय सदस्यों द्वारा की जाती है तो ऐसी स्थिति में जिला पदाधिकारी / अपर समाहर्ता संबंधित अंचलाधिकारी को उस संस्थान के

भूमि का सीमांकन करने हेतु निदेशित करेंगे। अंचलाधिकारी द्वारा कराए गए सीमांकन के अनुरूप कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन द्वारा प्राक्कलन तैयार कर सक्षम प्राधिकार से प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात् चहारदिवारी निर्माण संबंधी योजना का कार्यान्वयन कराया जाएगा।

4. मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना के तहत् यदि विधान मंडल के माननीय सदस्यों द्वारा गली–नाली/संपर्क पथ निर्माण की अनुशंसा की जाती है तो ऐसी स्थिति में यह देखना आवश्यक होगा की अनुशंसित योजना बिल्कुल नई है या गली–नाली/संपर्क पथ पूर्व से अस्तित्व में है एवं सार्वजनिक उपयोग में है।

(क) यदि विधान मंडल के माननीय सदस्यों द्वारा अनुशंसित योजना बिल्कुल ही नई है तो ऐसी स्थिति में जिला पदाधिकारी/अपर समाहर्ता के माध्यम से संबंधित अंचलाधिकारी से सरकारी भूमि की उपलब्धता संबंधी प्रतिवेदन प्राप्त करना अनिवार्य होगा। यदि विधान मंडल के माननीय सदस्यों द्वारा अनुशंसित योजना के लिए सरकारी भूमि उपलब्ध नहीं है तो निजी जमीन (रैयती भूमि) पर गली–नाली/संपर्क पथ का निर्माण योजना एवं विकास विभाग के पत्रांक 3643 दिनांक 20.08.2014 द्वारा निर्गत दिशा निदेश के आलोक में कराया जायेगा।

(ख) विधान मंडल के माननीय सदस्यों द्वारा अनुशंसित गली–नाली/संपर्क पथ निर्माण की योजना यदि पूर्व से अस्तित्व में है तथा उसका सार्वजनिक रूप से उपयोग किया जा रहा है तो ऐसी स्थिति में अनुशंसित योजना के कार्यान्वयन हेतु अंचलाधिकारी से भूमि उपलब्धता संबंधी प्रतिवेदन प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होगी। संबंधित कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन प्राक्कलन में अलग से यह प्रमाण पत्र देंगे कि विधान मंडल के माननीय सदस्यों द्वारा अनुशंसित गली–नाली/संपर्क पथ निर्माण की योजना पूर्व से अस्तित्व में है तथा सार्वजनिक उपयोग में है। इस प्रमाण पत्र पर प्राक्कलन तैयार करने वाले कनीय अभियंता, सहायक अभियंता तथा कार्यपालक अभियंता का अनिवार्य रूप से हस्ताक्षर रहेगा तथा साक्ष्य के रूप में स्थानीय 05 व्यक्तियों का भी हस्ताक्षर उनके नाम, पता एवं मोबाईल नंबर के साथ अंकित रहेगा।

5. मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना के तहत जलापूर्ति एवं चापाकल अधिष्ठापन संबंधी योजना का कार्यान्वयन अनुमान्य है। विधानमंडल के माननीय सदस्यों द्वारा अनुशंसित इस तरह की योजना का कार्यान्वयन सार्वजनिक/सरकारी भूमि पर ही कराया जाएगा। यदि विधानमंडल के माननीय सदस्यों द्वारा अनुशंसित योजना का स्थल किसी सार्वजनिक स्थान पर या किसी पथ के किनारे अवस्थित है, तो ऐसी स्थिति में अनुशंसित योजना के कार्यान्वयन हेतु अंचलाधिकारी से भूमि उपलब्धता संबंधी प्रतिवेदन प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होगी। परन्तु, यदि माननीय सदस्यों द्वारा अनुशंसित योजना के कार्यान्वयन हेतु सरकारी/सार्वजनिक भूमि उपलब्ध नहीं है, तो निजी भूमि पर जलापूर्ति एवं चापाकल निर्माण से संबंधित योजनाओं का कार्यान्वयन योजना एवं विकास विभाग के पत्रांक 3643 दिनांक 20.08.2014 द्वारा निर्गत दिशानिर्देशों के आलोक में कराया जाएगा।

6. उपर्युक्त योजनाओं के अतिरिक्त नदी एवं सार्वजनिक तालाबों में घाट निर्माण, कला मंच, खेल का मैदान, स्टेडियम निर्माण, सार्वजनिक चबूतरा का निर्माण, पार्क का निर्माण एवं विकास विद्युत शवदाह गृह का निर्माण, हाट एवं मेला स्थलों का विकास, बस–पड़ाव जैसी योजनाएं मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना की संशोधित मार्गदर्शिका–2014 के तहत अनुमान्य हैं। इन योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु जिला पदाधिकारी/अपर समाहर्त्ता के माध्यम से संबंधित

अंचलाधिकारी से सरकारी भूमि उपलब्धता संबंधी प्रतिवेदन प्राप्त करना अनिवार्य होगा। सरकारी भूमि की अनुपलब्धता की स्थिति में निजी भूमि पर इस तरह की योजनाओं का कार्यान्वयन योजना एवं विकास विभाग के पत्रांक 3643 दिनांक 20.08.2014 द्वारा निर्गत दिशा–निर्देशों के आलोक में कराया जाएगा।

अनुरोध है कि उक्त दिशा–निर्देशों के आलोक में मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना के तहत् अनुमान्य योजनाओं का कार्यान्वयन कराना सुनिश्चित किया जाय।

विश्वासभाजन

(मनीष कुमार वर्मा)
सचिव

ज्ञापांकः योo4 / मु0क्षे0वि0यो0–1 / 2018– 1474 / यो.वि.,दिनांक 18 मई, 2020
प्रतिलिपि : बिहार विधानमंडल के माननीय सभी सदस्यों को सूचनार्थ प्रेषित।

सचिव

ज्ञापांकः यो04 / मु0क्षे0वि0यो0–1 / 2018– 1474 / यो.वि.,दिनांक 18 मई, 2020
प्रतिलिपि : मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी, बिहार स्थानीय क्षेत्र विकास अभिकरण, पटना / मुख्य अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, विश्वेश्वरैया भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सचिव

ज्ञापांकः यो04 / मु0क्षे0वि0यो0–1 / 2018– 1474 / यो.वि.,दिनांक 18 मई, 2020
प्रतिलिपि : अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव, / सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग / लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण संगठन विभाग / ग्रामीण विकास विभाग / ग्रामीण कार्य विभाग / पंचायती राज विभाग / राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग / स्वास्थ्य विभाग / शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि अपने स्तर से संबंधित पदाधिकरियों को निदेश देने की कृपा की जाय।

सचिव

ज्ञापांकः यो04 / मु0क्षे0वि0यो0–1 / 2018– 1474 / यो.वि.,दिनांक 18 मई, 2020
प्रतिलिपि : सभी प्रमंडलीय आयुक्त, बिहार / सभी जिला पदाधिकारी, बिहार / सभी उप विकास आयुक्त, बिहार / सभी अपर समाहर्त्ता, बिहार / सभी क्षेत्रीय योजना पदाधिकारी, बिहार / सभी अधीक्षण अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सचिव

ज्ञापांकः यो04 / मु0क्षे0वि0यो0–1 / 2018– 1474 / यो.वि.,दिनांक 18 मई, 2020
प्रतिलिपि : माननीय मंत्री, योजना एवं विकास विभाग के आप्त सचिव / सचिव, योजना एवं विकास विभाग के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

सचिव